आलोक मेहता

किसानों के लिए फरियाद न कर

छोटी जोत वाले 90 प्रतिशत किसानों पर आर्थिक बोझ

सत्ताधारी नेताओं ने भाजपा के अपने 'सांसद बंधुओं' को सलाह दी है कि वे किसानों के लिए खाद और डीजल महंगा करने वाले बजट प्रस्तावों पर न आंसू बहाएं और न ही फरियाद करें। सरकार को विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के नियम-कानूनों, दिशा-निर्देशों की अधिक चिंता है। इसीलिए पिछले तीन वर्षों में किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की सब्सिडी को निरंतर कम किया गया है। इस खाते में सन 2000-2001 तक 13,800 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जो इस वर्ष घटकर 11,000 करोड़ रुपये रह गया है। वित्त मंत्री जसवंत सिंह का तर्क है कि यूरिया सब्सिडी से केवल बड़े किसानों को लाभ हो रहा था। जबकि मंत्रिमंडल में उनके साथी कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह तथ्यों के आधार पर दावा करते हैं कि खाद की कीमतों में बढ़ोतरी का सर्वाधिक खामियाजा छोटे और सीमांत किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के 90 प्रतिशत किसान दो हेक्टेयर या उससे कम जोत वाले हैं। उनकी सरकार ही नहीं, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान जैसे कुछ राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं। उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत अपने पुराने सहयोगी जसवंत सिंह की तुलना में जमीन की वास्तविकताओं से अधिक परिचित रहे हैं। उन्हें यह मालूम है कि राजस्थान का गरीब किसान पानी की कमी के कारण सस्ती खाद के बल पर किसी तरह फसल का हिसाब-किताब ठीक करता है। उर्वरक सब्सिडी में कटौती से सरकार को केवल 700 करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन छोटे किसानों की हालत तो खस्ता हो जाएगी। यही नहीं, डीजल की कीमत 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का बोझ उन्हीं किसानों को उठाना होगा, जिनके सूखा प्रभावित होने के नाम पर धन की (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि) वसूली की जा रही है।

सवाल यह है कि भारतीय किसानों के जीवन-मरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय पर क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ? कृषि मंत्री अजीत सिंह के खुले विरोध पर वित्त मंत्री जसवंत सिंह की चुप्पी से तो यही लगता है। भाजपा सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रभावशाली मंत्रियों, सांसदों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा किया जाए, तो पता चलता है कि वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने उर्वरक सब्सिडी में कटौती जैसे नाजुक मुद्दों पर अजीत सिंह सहित किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं की। एक तर्क बजट की गोपनीयता का हो सकता है, लेकिन बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान पिछले सभी वित्त मंत्री अपने सहयोगियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करते रहे हैं। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि सब्सिडी का लाभ उर्वरक कारखानों के मालिकों की जेब में चला जाता था। इस मुनाफाखोरी पर अंकुश के लिए सरकार सब्सिडी देते समय उर्वरक कारखानों के लिए यूरिया की बिक्री को सस्ती दरों का निर्धारण कर सकती थी या छोटे किसानों को सीधे राहत देने का फार्मूला निकाल सकती थी। यही नहीं जब सहयोगी मंत्री, भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू तथा अन्य सांसदों ने विरोध शुरू किया, तो उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने फटकार लगाई कि इस मुद्दे पर बयानबाजी बंद की जाए। वित्त मंत्री ने दृढ़ता से अपने कदम पीछे हटाने से मना कर दिया है। संसदीय व्यवस्था में किसान विरोधी कदमों पर इतना अड़ियल रुख क्या व्यावहारिक और शोभाजनक है?

असल में आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत सरकार अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों के पदचिह्नों पर चलना चाहती है। उन्मुक्त अर्थ-व्यवस्था वाले इन देशों में पिछले दशकों के दौरान छोटे किसानों का सफाया सा हो गया। छोटे किसान यानी छोटी जोतों पर निर्भर रहने वाले किसान सीमित कृषि संसाधनों तथा पारिवारिक श्रम के बल पर भरण-पोषण करते रहे हैं। छोटी जोत के कारण उनकी फसल का रखरखाव अच्छा होता है। दिलचस्प बात यह है कि पूंजीवादी या कम्युनिस्ट व्यवस्था वाले देशों में भी छोटी जोत का प्रचलन कम हो गया। लेकिन भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और 90 प्रतिशत छोटे किसान हैं। उनके हितों को अनदेखी करते हुए सही अर्थों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा? विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का पालन करने का मतलब यह है कि भारतीय किसान, उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों को तिलांजलि दे दी जाए। नए वित्त मंत्री को उनके किसी सलाहकार ने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि जर्मनी जैसे संपन्न देश में भी किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दी जा रही है। जापान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है लेकिन वहां छोटे किसानों का महत्व आज तक कम नहीं किया गया है। डॉलर की दरों के आधार पर बाजार में प्रतियोगिता करने की क्षमता छोटे भारतीय किसानों के पास नहीं है। लाखों किसान तो ऐसे हैं, जो बाजार में पहुंचने के बजाय अपने परिवार के लालन-पालन के लिए खेती करते हैं। इसी तरह मध्य वर्ग का किसान सिंचाई व्यवस्था अथवा ट्रैक्टर इत्यादि के लिए डीजल पर निर्भर है। डीजल महंगा होने से उसकी कमर टूटती है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने विशाल कृषि प्रधान देश में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए सशक्त आवाज बन सकने वाला नेतृत्व नहीं है। हर राज्य में किसानों के कंधों पर राजनीति करने वाले इक्का-दुक्का नेता हैं, लेकिन वे सत्ता व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाते। हरियाणा, पंजाब, उ.प्र, राजस्थान, म.प्र., छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक, केरल या पश्चिम बंगाल में किसानों की हालत दिनोंदिन खराब हुई है, लेकिन उन्हें संगठित करने वाला नेता कोई नहीं है। चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पारंपरिक प्रभाव रखते हैं, लेकिन वह अब तक अन्य राज्यों में बड़ी छाप नहीं छोड़ सके हैं। सरकार में रहते हुए जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो उनकी पार्टी या उनकी सहयोगी भाजपा को किसानों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने में कैसे सफलता मिलेगी? इस बीच भाजपा के ही समर्थक हरियाणा के मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने भी किसान विरोधी कदमों को लेकर अपना अभियान शुरू कर दिया है। शायद इसीलिए भाजपा के बड़े नेता मंदिर-मस्जिद मुद्दों को गर्माए रखना चाहते हैं, ताकि किसानों, बेरोजगार युवकों, महिलाओं को दुर्दशा से जुड़े मुद्दों पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं छेड़ा जा सके। क्रिकेट की सफलता के ढोल-धमाकों, हिंदुत्व के नारों, आतंकवाद के खतरों की चीखों के बीच गरीब किसानों की फरियाद दबा देना क्या सचमुच आसान होगा? ●

इस मुनाफाखोरी पर अंकुश के लिए सरकार सब्सिडी देते समय उर्वरक कारखानों के लिए यूरिया की बिक्री की सस्ती दरों का निर्धारण कर सकती थी या छोटे किसानों को सीधे राहत दे सकती थी।